

PART 2: THE REQUEST FORMAT**FORM ICH-09**

Request by a Non-Governmental Organization to be Accredited to Provide Advisory Services to the Committee
--

1. Name of the organization:

VRINDA KATHAK KENDRA

2. Address of the organization:
--

292 RACHNA NAGAR BHOPAL 462023 INDIA

3. Country or countries in which the organization is active:

national

international (please specify:)

worldwide

Africa

Arab States

Asia & the Pacific

Europe & North America

Latin America & the Caribbean

Please list the primary country(ies) where it is active:

4. Date of its founding or approximate duration of its existence:
--

20.09.2000

5. Objectives of the organization:

Not to exceed 350 words

Objective-Kathak is one of the most diverse performing arts among Indian classical dances. It originated in the medieval period around 15 and 16 century and has immense diversities in it. The variety in kathak becomes more fascinating due to its richness in styles and shades of presentation. We have number of gharanas and schools interpreting the different forms of it in different manner.

The objective of our organization is to develop, revive and propagate the activities for protecting, promoting and preserving the cultural heritage of kathak in its intangible form. To strive for the Sustainable development of this masterpiece which reached its lowest ebb in last five decades due to cultural banishment and was being practiced in near oblivion. The endeavour is to bring the like minded artists together and take this dance form to common masses and to gather support and popularity to save the richness of this performing art. which is the intangible heritage of the humanity.

Our aim is to make this dance form an integral part of school education and to inspire the children and young talents to learn kathak and provide them the required training and facilities so they can adopt kathak as their vocation. Our purpose is to create awareness among people about the cultural heritage of kathak and instill in them the sense of pride for promoting the cultural activities through public participation.

Our goal is to conserve and protect the dance form in its pristine, unadulterated and conventional form and to discover the lost links which vanished when the dance form was in exile so that vacuum created could be fulfilled. We seek to coordinate with other organizations and agencies which are involved in the protection and promotion of kathak and other dance forms and organize to make the consultative forums which will suggest measures to make the conditions conducive for the advancement of the dance form. Our objective is to seek support from the government and build consensus for infrastructural support and to pursue the govt. to organize more and more programme for the advancement of this art form and to come out with more platforms and scholarships so that children and young talents gets attracted to embrace this dance form.

6. The organization's activities in the field of safeguarding intangible cultural heritage**6.a. Domain(s) in which the organization is active:**

- oral traditions and expressions
- performing arts
- social practices, rituals and festive events
- knowledge and practices concerning nature and the universe
- traditional craftsmanship
- other domains - please specify:

6.b. Primary safeguarding activities in which the organization is involved:

- identification, documentation, research (including inventory-making)
- preservation, protection
- promotion, enhancement
- transmission, formal or non-formal education
- revitalization
- other safeguarding measures - please specify:

6.c. Description of the organization's activities:

Not to exceed 750 words

Reviving cultural dance form is a gradual process in which getting mass participation is an achievement itself. As any long journey begins with single step, the first step towards this endeavor was taken way back in the year 1985 which the founder president of this organization started getting training for this performing art while she was just 10 years old. Her love for dance surpassed everything else so she was selected for scholarship by M.P. Govt.

She has been recognized for her innovative, collaborative and traditional works in technique, rhythmic understanding and ability to improvise with speedy rhythms and subtlety & delicacy of movements. She is renowned artist of kathak dance had first performance overseas at Festival of India in USSR organized by Government of India. She got scholarship & fellowship in Kathak Dance from Govt. & Master's degree in kathak with Merit (Gold-medal) from Indira Kala Sangeet University Khairagarh, Chhattisgarh, India. Thereafter she visited as a solo performer in many cities of India and abroad. By blending the style of Lucknow and Jaipur Gharana beautifully, in her style she evolves a refined, forceful and sophisticated classical kathak form which is based on fast speeds, swift intensifying turns, and mind thrilling percussive footwork, delicacy of movements and impressive expressions of divine thoughts with clarity, precision & spontaneous maneuvers to live music.

She has in abundance in the classical field passion, this passion translates into hard work, high emotion, flawless movement lines, impeccable timing, perfect grasp of rhythm which is very much visible in form of exuded amazing energy and enthusiasm on stage coupled with unflagging stamina and a feel of Abhinaya(Drama)in her performance of kathak.

The president V.Anuradha Singh performed at various heritage sites including the sites which are in UNESCO's Heritage list like Agra and Golconda.

The organisation's founder president along with other artists have performed at various places in India and its various federating units at various stages like:

Khajuraho Dance Festival (Madhya Pradesh), Kalidas Festival, Nagpur (Maharashtra), Rajasthan Day Celebration (Albert hall, Jaipur), International Taj Festival (Uttar Pradesh), Ellora-Ajanta Festival (M.S.), Virasat Heritage Festival (Dehradun), Pune Festival (M.S.), Lucknow Festival (U.P.), International Buddha Festival (Gaya, Bihar), Island Tourism Festival (Andaman & Nicobar), Navraspur National Dance Festival (Karnatak), Ganga Festival, Varanasi(U.P.), The Festival of Chandigarh, Uday Shankar Dance Festival (Kolkata), Udai Shankar Dance & Ballet Festival (Jaipur), India International Centre (New Delhi), Ustad Allauddin Khan Sangit Festival (Maihar, Madhya Pradesh), Maharana Kumbha Festival, Udaipur (Rajasthan) Kathak Festival Jaipur Rajyotsav - Chhattisgarh Foundation day, Khairagarh Festival (Chhattisgarh), Bhoramdeo Festival 2 times (C.G.), Badri-Kedar Festival (Uttaranchal) Classical Dance Festival (Goa), Chakradhar Festival, Raigarh (C.G.), Golconda Music and Dance Festival (Hyderabad, A.P), Saraswati Prasang Festival , Bharat Bhavan Bhopal and many more which are beyond the scope of the space provided

*Form ICH-09 (2008) – Request from an NGO for Accreditation***7. Its experiences cooperating with communities, groups and intangible cultural heritage practitioners:**

Not to exceed 350 words

Her philanthropic determination is evident from the performance which is specially arranged for gathering fund to provide relief to Tsunami victim natural disaster that occurred in India in 2005. Other activities of organization includes free of cost training centers at 3 different places and providing them scholarships to groom the children and young talents in becoming dexterous in this performing art and motivating the others to embrace this dance form. The organization is concerned for the have-nots and organizes regular training camps at SOS(Save our Soul) which is the world's leading NGO, where the special vocational training was provided to around 60 students from this orphanage. Our organization in coordination with WIN(women international network which constituted under the national charity under the central Act 1882) has organised classical kathak charity performance at New Delhi. The organization regularly coordinates with the Govt. at national and state level to pursue them for organizing in pan India various programmes like Saraswati Prasang(Bharat Bhawan,Bhopal), Patanjali Yoga Festival(New Delhi). She has been awarded & felicitated with Wakankar Samman,Kala Manishi Samman & Rajiv Gandhi National Unity Award for unwaivering dedication in promoting & protecting the cultural heritage of kathak and for cooperating with communities and groups for the same.

8. Documentation of the operational capacities of the organization:

Please substantiate the operational capacities of the organization with appropriate documentation, as described in paragraph 94 of the Operational Directives.

8.a. Membership and personnel

Please submit supporting documents.

8.b. Recognized legal personality


Please submit supporting documents..

8.c. Duration of existence and activities

Please submit supporting documents.

9. Contact person for correspondence:

ANURADHA SINGH 292 RACHNA NAGAR BHOPAL 462023 INDIA Telephone Nos +91-755 4260123, Mobile no.+919425005631;+919893037766 Fax +91-755 2601123 , Website:www.vanuradhakathak.com E mail vanuradhasingh@yahoo.co.in

10. Signature:


**NAME & ADDRESS OF
MEMBERS WITH DESIGNATION**

१. समिति के प्रबन्ध विकासमोद्दारा समिति के कार्यों का प्रबन्ध शासक परिषद संचालक सभा या शासी लिंग को संचालन है।

प्र. नाम

१. अबुरुषा सिंह
पति श्री एस विनोद
२. उमिला राजपूत
पति श्री आर बी. सिंह
३. के. एस. विनोद
पिता श्री के. एस. शिवरामजन
४. यत बलयज सिंह
पिता श्री गव चरदार सिंह
५. हितिज राज
पिता श्री बी आर. सिंह
६. लता भट्ट
पति श्री अमित भट्ट
७. अशोक मेहता
पिता श्री विनोद मेहता

पद

अध्यक्ष २७२ रघुनाथ नगर शोपला
शोपल
उपाध्यक्ष नाम दिनपुर पो-बरमान
जिला लखमिठपुर म.प.
सचिव एस-१९ अमेर काम्प. जोन-२
एम.पी. नगर शोपल
उपर्युक्त
कोषाध्यक्ष २७३ गोतम लगर
शोपल
उद्यम २८ जोन-१ एम.पी.नगर
शोपल
उद्यम ६ १०३ शाहपुरा शोपल
शोपल
उद्यम बंजारी कोलार गेड शोपल
शोपल

दाता

कलाकार
समाज सेवा
समाज सेवा
रिटार्ड
वकील
शिक्षिका
समाज सेवा

२. समिति के इस जापन पर ले गाया समिति के विकासमोद्दारा एक प्रमाणित पुति जैसा कि म.प. शौभाग्यली गणेश्वरीराम अधिकारी नाम १४४३ [१९४३ ई-४४] को दागा ५ को उपलगा [१] के अदील अपेक्षित है। उल्लङ्घन है।

इस अदील के दृष्टिकोण से उपर्युक्त विकासके काम जैर पते बैठते लिखो हैं समिति का विमर्श उपरोक्त जापन पर के अबुरुषा करने के उद्देश्य है तथा ज्ञापन पत्र पर किस्मतिका साक्षियों को उपरिदियति के दस्तावेज किये हैं।

क. विमर्शक विकासके के काम एवं पते

१. अबुरुषा सिंह २७२ रघुनाथ नगर शोपला
पति श्री एस. विनोद शोपल

२. उमिला राजपूत नाम दिनपुर पो-बरमान
पति श्री आर. बी. सिंह जिला लखमिठपुर म.प.

३. के. एस. विनोद एस-१९ अमेर काम्प. जोन-२
पिता श्री के. एस. शिवरामजन एम.पी. नगर शोपल

४. यत बलयज सिंह एम.आई.जी.लगर
पिता श्री गव चरदार सिंह शोपल

५. हितिज राज २८ जोन-१ एम.पी.नगर
पिता श्री बी आर. सिंह शोपल

६. लता भट्ट ए १०३ शाहपुरा शोपल
पति श्री एस. अमित भट्ट

दस्तावेज

२८ अप्रैल २०२४
दस्तावेज द्वारा दिया गया।
दस्तावेज द्वारा दिया गया।
दस्तावेज द्वारा दिया गया।
दस्तावेज द्वारा दिया गया।

२८ अप्रैल २०२४

२८ अप्रैल २०२

XXX-Part-21

W-700/05

रूप क्रमांक 2
(देखिये निम्न 7)

B0 12-9-05

मध्यप्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 01/01/15574/05

यह प्रमाणित किया जाता है कि वृन्दा कथक कोन्ट्रू
समिति जो 292 रवना नगर भोपाल तहसील हुजूर जिला
भोपाल में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन
09/09/2005 को पंजीयित की गई है।

दिनांक नौ माह सितम्बर सन् 2005



(एम. एस. सक्सना)
समितियों के ऑफिशियल रजिस्ट्रायर
समितियों के रजिस्ट्रार

Registration Certificate of Society Registration

W - 193/05

विवरावली

१. समिति का नाम :- दृढ़ा कथक केन्द्र

२. समिति का कार्यालय :- २४२ रत्ना नगर भोपाल।
लोड-कुन्ड, जिला - भोपाल

३. संस्था का कार्यक्रम :- संपूर्ण गद्यपदेश होना।

५. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

१. मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक कलात्मक प्रियता के प्रियस उन्नयन एवं प्रचार प्रसार हेतु गतिविधियां संचालित करना। साथ ही प्रेदश की लुप्त हो रही प्राचीन लोककला व शास्त्रीय कला संस्कृति को उभारने हेतु क्रियान्वयन करना।
२. प्रदेश के हरिजन आदिवासी पिछडे वर्ग के कल्याणार्थ कला की रचनात्मक योजनाएं तैयार करना और उनके आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी प्रयत्न करना।
३. बोरेजगढ़ शिक्षित युवक एवं युवतियों को विशिष्ट प्रकार के संगीत व नाट्य संबंधी कला प्रशिक्षण देना तथा बोरेजगढ़ उपलब्ध ऊनों में सहायता देना।
४. पौढ़ महिलाओं के लिए विशिष्ट प्रकार के कला संबंधित केन्द्र स्कूलना जिससे उन्हें बोरेजगढ़ उपलब्ध हो सके।
५. सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रादेशिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय कला के लिए सुविक एवं युवतियों को सामाजिक करना व प्रतिश्वाका का सही विकास करना।
६. लूट से संबंधित कम्प्युटर एवं इंटरनेट साक्षरता तथा सूचना तकनीक आर्थि के अपार सामरण्य लूट बंद करने के उपायों का उन्नति हेतु प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार करना।
७. शारीरिक कलाओं से संबंधित शिक्षा प्रशिक्षण त कारशाला आयोजित करना।
शारीरिक हारा समय समय पर जारी कल्याणकारी बोरेजगढ़ नगरी सामाजिक जन योग्याना संबंधी योजनाओं के लाभों को जन साधारण तक पहुंचाना।
८. सारकृतिक विद्या संरक्षण एवं संबंधित प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।
९. अवाश गरीब अपर्ग बंसहारा युवक सुवितियों को उनकी क्षमतानुसार विशिष्ट कला में दक्ष कर आनंदित्वा देना।
१०. मध्यप्रदेश के असहाय, दूसित जिर्धन पीड़ित व विकलांग बालक बालिकाओं की साधासांत सहायता देना और उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने व उत्थान हेतु कला में प्रशिक्षित कर आनंदसम्मान दिलाना।
११. शिक्षा और कला का गहरा प्रशिक्षण देना वाल बालिकाओं में सांस्कृतिक विशस्त के प्रति योग्या जागृत करने हेतु योजनाएं संचालित करना।
१२. बच्चों व युवाओं की नैसर्जिक कला प्रतिभा को देखते हुए सही प्रशिक्षण दिलाना।
१३. सही प्रशिक्षण गुरु कितारे औड़ियो तिजुआल सामग्री व संग्रहकारों को व्यवित कर कला संस्कृति को उभारने हेतु क्रियान्वयन करना।
१४. छोटे शहरों व कस्बों के बच्चों को सही प्रशिक्षण व कुशल ज्ञान और गुरु की सहायता उपलब्ध कराना व परामर्श देना।
१५. प्रस्तवकों के अलाया पुस्तकों संगीत अपशोष आड़ियो चीड़ियो सी डी व कलाकारों के संबंधित दस्तुर जैसे कलाकृति से जुड़े चित्र, लेख, व्याख्यान को संजोना व प्रचार प्रसार हेतु उपयोग कर जाया सीखने में लालक पैदा करना।
१६. भारतीय संगीत व नृत्य को आम जनता के द्वितीय दिमाग में बसाना व नए प्रयोग कर प्रियुद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समाज में जाया स्प्रिंग दिलाना।
१७. प्रियसत में भिती सांस्कृतिक धरोहर से आम आदमी को आध्यात्मिक शार्ति और सही मार्ग की ओर अस्तित देना।

संचित

कोषाध्यक्ष

१९. संगीत व नृत्य से मानसिक दृढ़ता और शांति देगा व शारीरिक दुर्बलताओं को दूर कर तब मन से हुर्स्ट स्तर रखना ।
 २०. बच्चों व महिलाओं को संगीत व नृत्य का प्रशिक्षण देकर आत्मसम्मान व पुरिष्ठि प्रियताने में मुद्र तथा मंत्रों पर अपनी कला कौशल दिखाने हेतु प्रशिक्षित करना ।

५. सदस्यता :- संस्था के नियन्त्रित भेणी के सदस्य होंगे :-

- a. सरकार :- संस्था को जो व्यक्ति दाल के रूप में रूपये २०००/- या अधिक एक मुद्रा या एक साल के अंदर बारह किंवद्दों में देगा वह समिति का संकाक सदस्य होगा ।
- b. आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को दाल के रूप में १०००/- या अधिक शाशे देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रूपये १०००/- या अधिक देकर संकाक सदस्य बन सकता है ।
- c. साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति रूपये ५०/- प्रतिमाह या रूपये ६०/- प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है । जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के ६ माह तक देय चंदा बही देगा । उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये जिस आदेन देने तथा बकाया चंदे की शाखा देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।
- d. समाजीय सदस्य :- संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समस्य के लिये जो भी वह उत्तित समझे समाजीय सदस्य बना सकती है । ऐसे सदस्य साधारण झा की बैठक में शाग ले सकते हैं परन्तु उनको भता देने का अधिकार न होगा ।
- e. सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति को जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो, लियित रूप में आदेन करना होगा । ऐसे आदेन पर प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसको आदेन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।
- f. सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में नियन्त्रित योग्यता का होना आवश्यक है :-
- आयु १८ वर्ष से कम न हो ।
 - भारतीय नागरिक हो ।
 - संस्था के नियमों के पालन करने की प्रतिज्ञा हो ।
 - सद्व्यक्ति हो तथा मध्यापान न करता हो ।
- g. सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता नियन्त्रित रिति में समाप्त हो जायेगी
- मृत्यु हो जाने पर ।
 - पांगल हो जाने पर ।
 - संस्था को देय चन्दे की रकम नियम ५ में भताये अनुसार जमा न करने पर ।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

➤ चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के क्रियान्वयन सार विकाल हेतु जाने पर जैसक बोध्य पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

➤ त्यागपत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर ।

१. संस्था कार्यालय में :- सदस्य पंजी रखी जातेगी जिसमें निम्न लिए दर्ज किये जातेगे :-

७. प्रत्येक सदस्य का नाम त पता व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर ।

८. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रतेश दिया गया हो त स्थीद जम्बर ।

९. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

१०. १. साधारण सभा :- साधारण सभा में नियम ७ में दर्शाई गई गई शेषी के सदस्य समावेश होते हैं । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होती । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान य समय कार्यकारिणी समिति निश्चित करे १५ दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना दी जातेगी बैठक का कोरम ३/५ सदस्यों का होना संस्था की प्रथम आमदार पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जातेगी उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत नियावन किया जायेगा । यदि संबंधित आमदार का आयोजन किसी समय जही किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कमिट्टी के मार्ग दर्जन में एवं प्रबंधिकारियों का विधिवत चुनाव करवाया जायेगा ।

प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होती तथा बैठक का ऐजेंडा तथा बैठक दिनांक सं ७ दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को शेषी जाना आवश्यक होती । बैठक में कोरम १/२ सदस्यों को होती यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एवं घटे के दलीय स्थानित की जावार उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होती ।

८. विशेष :- यदि कम से कम युल सदस्यों की संख्या का २/३ सदस्यों द्वाय लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दशाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जायेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से १४ दिन के भीतर मेजा जायेगा । पंजीयक की इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति जो परामर्श देने का अधिकार होगा ।

१२ साधारण सभा के अधिकार त कर्तव्य :-

➤ संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।

➤ संस्था की स्थाई निधि त संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।

➤ आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षाको जी नियुक्ति करना ।

➤ अन्य ऐसे विषयों पर विचार जो प्रबंधकारिणी द्वाय प्रस्तुत हो ।

➤ संस्था द्वाय संचालित संस्थाओं के आय-व्यय प्रमाणों को स्वीकृत करना ।

अध्यक्ष

सचिव

कांस्थाक्ष

► बजट का अनुमोदन करना ।

१३. प्रबंधकारिणी का ब्रठन :-दस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सकत्य रहेंगे । नियम ५ ;आ.ख.स में दशायि गये सकत्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

१. अध्यक्ष २. उपाध्यक्ष ३. सचिव ४. कोषाध्यक्ष ५. सह सचिव ६. सदस्य ७.

१४. प्रबंध समिति का कार्यकाल :-प्रबंध समिति का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा । समिति का वयोजना कारण होने पर उस समय तक जब तक की बड़ प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता तर्ती रहेगी इन्हु उपत अवधि ६ माह से अधिक नहीं होगी । जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा ।

१५. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

१. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आश्रय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

२. पिछले वर्ष का आव-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन का साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

* कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे ।

६. संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।


७. संस्था द्वारा कोई श्री स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रर की लिखित अनुब्जा के बिना विक्रय होय या अन्यथा अर्जित या आनंदित नहीं दी जाएगी ।


८. विशेष बैठक आमतित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार तिमार्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों २/३ भत्ते से संतुष्टिपूर्वक प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु मेजा जाएगा ।

९. अध्यक्ष के अधिकार :-अध्यक्ष साधारण सभा या प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों का अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा व प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का भत्ते विचारार्थ विषयों में समान भत्ते हेतु पर निर्णयालक होगा ।

१०. उपाध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति गे उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।


अध्यक्ष


सचिव


कोषाध्यक्ष

१७. सचिव मंत्री के अधिकार :-

१. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।
२. समिति का आय-व्यय का लेखा परिकल्पना से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।
३. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अंगेंयमितता पारे जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।
४. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपरे ५०० रुप्ता करने का अधिकार होगा ।

२०. सहसचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपस्थिति में समस्त कार्य करेगा ।

२१. कोषाधारका के अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब स्वेच्छा तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्तीकृत लिया करना ।

२२. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्टऑफिस में रहेगी । धन का आह्वान अध्यक्षा या मंत्री तथा कोषाधारक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा । दैनिक लिये हेतु कोषाधारक के पास अधिकतम रूपरे ५००/- रहेंगे ।



२३. विधायक को भोजी जाने वाली जागकारी :- अधिनियम की धारा २७ के अंतर्गत संस्था की वार्षिक अनुसंधान छोले के दिनांक से ४५ दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फॉइल की जावेगी । तथा धारा २८ के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर विहित फीस के साथ प्रस्तुत की जावेगी

२४. विधायकान :- संस्था के विधायक में संशोधन साधारणसभा की बैठक में कुल सदस्यों के २/३, मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधायक में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक के पास एवं संस्थाएँ लो होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ।

२५. विधान :- संस्था का विधान साधारण सभा में कुल सदस्यों के ३/५ मत से पारित किया जावेगा । विधान के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों याती संस्था को सौंप दी जावेगी । उपर समस्त कार्यालयी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

२६. संपत्ति :- संस्था की समर्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी संस्था की अचल संपत्ति (स्थान) रजिस्ट्रर फार्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय होगा, दान होगा, या अन्य प्रकार से अर्जित या अंतरित बही की जा सकेगी ।

२७. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जायेगा एवं समय समय पर धन जमा करने या निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

साधारण

काषाधारक

काषाधारक

२८. पंजीयक द्वारा बैठक खुलाना : - संस्था की पंजीयता नियमाधली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वालिक बैठक ज खुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक पञ्च संस्थाओं की बैठक खुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में एचार्श विषय विस्तृत कर सकेगा ।

२९. विवाद :- संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि निश्चित या निर्णय से पक्षों लो संतोष न हो तो वह रजिस्टर की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्टर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सांगों के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्टर को



प्रभाग च प्र० १८
प्रभाग च प्र० १९
प्रभाग च प्र० २०

वहावक पंजीयन
इस्तु एवं संस्थाये, ज.

28/9/05

97-577-87


Ashok Kumar

१०८